न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 54/23 GCMS NO 2023/98

1. जगमोहन पुत्र स्व0विश्वामित्र जाति ब्राहम्ण निवासी बिजली खां का चौक हिण्डौन सिटी जिला करौली (मृतक)

1/1. रमेश चंद

1/2. माणिक चंद

1/3. ओमप्रकाश

1/4. राजेश पिसरान स्व0जगमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी बिजली खां का चौक हिण्डौन सिटी जिला करौली

1/5. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व0जगमोहन पत्नि गंगाधर निवासी डी 96 तिलक नगर भरतपुर

1/6. श्रीमती स्नेहलता पुत्री स्व0 जगमोहन पत्नि कैलाश चंद निवासी मोहल्ला चटीकना करौली

1/7. पंकज पुत्र स्व0कुबेर

1/8. मु.उर्मिला बेवा कुबेर

1/9. तरूण पुत्र संतोष

1/10. पीयूष पुत्र संतोष

1/11. मु.आशा बेवा संतोष समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासी बिजली खां का चौक तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. मुरारी लाल पुत्र विश्वमित्र जाति ब्राहम्ण निवासी निवासी बिजली खां का चौक हिण्डौन सिटी जिला करौली(मृतक)

1/1. द्वारका प्रसाद पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिजली खां का चौक हिण्डौन सिटी जिला करौली(मृतक)

1/1/1.लक्ष्मी बेवा द्वारका प्रसाद

1/1/2. मोहित पुत्र द्वारका प्रसाद

1/1/3. कल्पना पुत्री द्वारका प्रसाद

1/1/4. अनुराधा पुत्री द्वारका प्रसाद समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी बिजली खां का चौक हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

1/2. महेश

1/3. राजेन्द्र उर्फ रज्जो

1/4. अनिल उर्फ अन्नी

1/5. राकेश पिसरान स्व0मुरारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिजली खां का चौक हिण्डौन सिटी जिला करौली

1/6. श्रीमती सुषमा देवी पुत्री मुरारी[illegible] ब्राहम्ण निवासी संख्या 427 ग्लोबल स्कूल के पास तलबन्डी कोटा जिला कोटा

2. कैलाश पुत्र भगवत

3. सुरेन्द्र पुत्र भगवत

4. रामसुखी बेवा भगवत (मृतक)(हजफ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

5. माया पुत्री भगवत
6. उषा पुत्री भगवत
7. उषा बेवा सुमेर
8. मोहन पुत्र सुमेर
9. गौरव पुत्र सुमेर
10. सौरभ पुत्र सुमेर
11. बबीता पुत्री सुमेर
12. प्रियंका पुत्री सुमेर सभी जातियान ब्राहम्ण निवासीयान चौबेपाडा हिण्डौन सिटी जिला करौली
13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
14. सब रजिस्ट्रार हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 11/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री पी0एल0गोयल,श्री ईश्वर सोनी

दिनांक 28.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2. 2022 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी मृतक जगमोहन पुत्र स्व0विश्वामित्र द्वारा दावा घोषणा खातेदारी ,इन्द्राज दुरूस्ती भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा स्व0विश्वामित्र के पुत्र पुत्री पुत्र बधु पोत्र पोत्री है। स्व0विश्वामित्र के तीना पुत्र थे भगवत,जगमोहन व मुरारी लाल थे। भगवत फौत हो गया। जिनके वारिसान उनके तीन पत्रु कैलाश सुमेर,सुरेन्द व बेवा रामसुखी तथा पुत्रियान माया व उषा है। सुमेर भी फौत हो चुका है। जिसके वारिसान सुमेर की बेवा उषा पुत्रगण मोहन,गौरब,सौरभ व पुत्रियान बबीता व प्रियंका हे। इस प्रकार [redacted] एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 स्व0 विश्वामित्र के जायज कानूनी वारिसान है। तथा उनके तर्के पर काबिज है। आराजी ख0न0 1339 रकबा 37 ऐयर, 1140 रकबा 37 ऐयर, 1299 रकबा 0.1 ऐयर गैर मुमकिन कुआ, 1300 रकबा 95 ऐयर, 1301 रकबा 1.55 है0, 1324 रकबा 15 ऐयर, कुल किता 6 कुल रकबा 3.40 है0 वाके कस्बा हिण्डौन सिटी स्थित [illegible] के साबिक ख0न0 695 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा व 4955 रकबा 13 बीघा [illegible] वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक आराजीयात है जो [illegible] में अपने पूर्वज स्व0विश्वामित्र से प्राप्त हुई है। उक्त आराजीयात मे वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है। जो मुताबिक सजरा उन्हे विरासत मे प्राप्त हुई है। स्व0विश्वामित्र ने अपने जीवनकाल मे उक्त आराजी का कोई भी भाग अपने किसी वारिसान को जरिये वसीयत दानपत्र विकय पत्र या अन्य किसी लिखित या रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर अन्तरण नही किया। इसलिए समस्त आराजीयात उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान को विरासत के आधार पर मिलनी चाहिए थी। आराजीयात वर्णित मद न0 3 वादपत्र के 1/3 भाग पर वादी अपने पिता के समय से काबिज व दखील चला आ रहा है। तथा काश्त कर अपने हिस्से की फसल से लाभान्वित होता चला आ रहा है। वादी के पिता के मरने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व वादी के बडे भाई भगवतप्रसाद ने आपस मे साज कर लिया तथा वादी को उसके हिस्से मे महरूम करने की गर्ज से नामा0 के वक्त वादी का नाम विरासत के नामा0 मे दर्ज नही कराया जबकि स्व0 विश्वामित्र के तीन पुत्र थे और नामा0 मे केवल दो पुत्र भगवत प्रसार व मुरारीलाल का ही नाम दर्ज करवाया गया। तथा मिन वादी का नाम जानबूझकर बदनियती पूर्वक वादी का हिस्सा हडप कर जाने की नियत से दर्ज नही कराया गया। जबकि वादी अपने 1/3 हिस्से की आराजीयात पर शुरू से आज तक काबिज व दखील चला आ रहा है तथा वादी कानूनन स्व0 विश्वामित्र की समस्त चल अचल सम्पति का 1/3 हिस्से का स्वामी है। वादग्रस्त आराजी मे भी 1/3 हिस्से का कानूनन खातेदार काश्तकार है। परन्तु वादी का नाम प्रतिवादीगण ने जानबूझकर राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज नही होने दिया तथा बेईमानी से बदनियतीपूर्वक उक्त आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्तियो को रहन बय कर वादी को उसके हिस्से से महरूम करना चाहते है जिसका उन्हो कोई कानूनी अधिकार नही है। वादी वादग्रस्त आराजीयात मे 1/3 हिस्से पर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपने हिस्से का लगान सरकारी प्रतिवादीगण को नकद देता चला आ रहा है। वादी को कभी राजस्व रिकार्ड की नकल लेने की आवश्यकता नही पडी इस कारण वादी को कभी इस बात का पता ही नही था कि वादी का नाम वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही हुआ है। वादी दिनांक 1.9.10 को अपने खेतो पर गया तो प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि इस हम जमीन के खातेदार है तुम्हारा नाम राजस्व रिकार्ड मे हमने दर्ज नही कराया है इसलिए आयन्दा तुम इन खेतो पर मत आना हम तुम्हे वादग्रस्त आराजीयात का कोई भी हिस्सा काश्त नही करने देगे तथा अकेले हम ही काश्त करेगे। इस पर वादी को आश्चर्य हुआ । वादी ने संबंधित राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तो वादी को इस तथ्य की जानकारी हुई कि वादी का नाम अपने पिता द्वारा छोडी गई आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। इसलिए वादी को यह दावा करना आवश्यक हुआ। वादी का नाम वादग्रस्त आराजीयात मे दर्ज नही होने के कारण वादी के विधिक अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडेगा। प्रतिवादीगण इस बात का नाजायज फायदा उठाकर वादी को उसके हक व हिस्से से महरूम करना चाहते है। जबकि वादी वादग्रस्त आराजीयात का विरासत के आधार पर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। इसलिए वादी को दावा पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार वादी को आराजी ख0न0 1339 रकबा 37 ऐयर, 1299 रकबा 0.1 ऐयर गैर मुमकिन कुआ, 1300 रकबा 95 ऐयर, 1301 रकबा 55 है0, 1324 रकबा 15 ऐयर, कुल किता 6 कुल रकबा 3.40 है0 वाके कस्बा हिण्डौन सिटी का खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2025.10.10 13:54:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे तथा वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके विधि अनुसार 1/3, 1/3 हिस्से का सरस नरस से भूमि विभाजन कर प्राथमिक डिक्री कायम की जावे तथा नियमानुसार बंटवारा स्कीम तलब कर मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री पारित फरमाई जावे। प्रतिवादी न0 1 ता 12 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को उसके हिस्से 1/3 भागी आरजीयात के उपयोग उपभोग मे वादी को कोई बाधा उत्पन्न नही करे तथा बेदखल नही करे तथा विभाजन कराये बिना उक्त आराजीयात का कोई भाग दीगर व्यक्यिो को रहन बय नही करे। वादग्रस्त आराजीयात का किसी भी प्रकार का कोई रहन नामा व विक्रय नामा अन्तरण नही करे। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे वादी के हक एवं अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही गई।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वकालतन उपस्थित होकर जबाब दावा पेश करने के पश्चात एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादी के वारिसान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त उनवानी दावा अपीलांट संख्या 1/1 लगायत 1/6 के पिता व 1/7, 1/9, 1/10 के बाबा व 1/8 व 1/11 के ससुर ने दिनांक 12.1.11 को पेश किया था। प्रतिवादी न0 1 मुरारीलाल का स्वर्गवास दिनांक 8.12.11 को करीब एक वर्ष पश्चात हुआ है तथा जगमोहन का स्वर्गवास भी दावा दायर करने के करीब एक वर्ष पश्चात हुआ तथा प्रतिवादी न0 1 मुरारी जो वादी जगमोहन का सगा भाई था उसने अपने जीवनकाल मे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नही किया तथा प्रतिवादी न0 2,3,4,7 व 8 की और से उक्त उनवानी प्रकरण मे एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 18.2.11 को पेश किया, उसमे प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र मे जो बिन्दु दिनांक 2.9.21 को पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे उठाये है वे तथ्य प्रार्थना पत्र दिनांक 18.2.11 मे नही उठाये तथा प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,7 व 8 की और से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक को खारिज हो गया तो पुनः प्रतिवादी न0 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी कानूनन मेन्टेवल नही होने के कारण खारिज होने योग्य था जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नही कर प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रतिवादी स्वीकार कर वादीगण का दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। उनवानी प्रकरण मे प्रतिवादी न0 1 मुरारीलाल के वारिसान 1/1 लगायत 1/6 व 2 ता 14 प्रतिवादीगण है जिसमे मात्र प्रतिवादी न0 2 कैलाश चंद द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया है तथा किसी भी अन्य प्रतिवादीगण की और से उक्त प्रार्थना पेश नही किया गया इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि दावा पूरा ही ही खारिज किया जा सकता है पार्टली खारिज नही किया जा सकता तथा मात्र एक प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर वादीगण का पूरा दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी कैलाश चंद की और से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी)सीपीसी के तहत दावा किसी विधि द्वारा वर्जित होने पर ही खारिज किया जा सकता है , अपने प्रार्थना पत्र मे प्रतिवादी ने यह कही भी अंकित नही किया है कि वादीगण का दावा कौनसी विधि द्वारा वर्जित है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी)सीपीसी की परिधि मे नही आता है इस बिन्दु पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। प्रतिवादी ने अपना प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी)सीपीसी का पेश करना बताया है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री मे आदेश पारित करते वक्त आदेश 7 नियम 11 (डी)सीपीसी के तहत दावा को खारिज नही मानकर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी यानि दावा वादकारण उत्पन्न नही मानकर खारिज किया है। जबकि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क)सीपीसी का कही भी उल्लेख नही किया है। जबकि वादी ने अपने वाद पत्र मे मद न0 7 मे वादकारण दिनांक 1.9.10 को उत्पन्न होना बताया है तथा माननीय उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयो की नजीरो के अनुसार वादकारण तय करने का बिन्दु बाद साक्ष्य ही तय किया जा सकता है तथा इस बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वादी द्वारा अपनी भूमि के कोई पैतृक दस्तावेज पेश नही करना व वादी के पिता विश्वामित्र द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 3.5.80 को अपने दोनो पुत्रो भगवतप्रसाद व मुरारीलाल को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत हस्ताक्षर करना बताया है जबकि उक्त तथ्य का साक्ष्य तथा वसीयत के अटेस्टिंग विटनेसेज के द्वारा वसीयत को प्रमाणित करने के पश्चात ही तय किया जा सकता था तथा बिना साक्ष्य उक्त वसीयत को प्रमाणित करने के पश्चात ही तय किया जा सकता था तथा बिना साक्ष्य उक्त वसीयत को बैध मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी जगमोहन को बचपन मे मूलचंद के द्वारा गोद लेना बताया है जबकि प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई गोद पत्र का दस्तावेज पेश नही किया, जबकि वादी जगमोहन के सभी शैक्षणिक दस्तावेज व जगमोहन की गैर कनेक्शन डायरी मे भी जगमोहन पुत्र विश्वामित्र नाम दर्ज है। तथा बिना कोई गोदपत्र दस्तावेज के वादी को गोदपुत्र मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा मे वसीयत विश्वामित्र द्वारा निष्पादित होना बताया है जिसमे कही भी वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर नही है तथा वसीयत के अटेस्टिंग विटनेस भी सम्पत पुत्र गोपाल निवासी हिण्डौन वादी के परिवार के नही है तथा दूसरा गवाह कमल पुत्र जोतराम जाति जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Sahu
Date: 2025.10.10 13:54:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निवासी धंधावली का है जबकि वादी के पिता विश्वामित्र अगर वसीयत करते तो वादी की मौजूदगी मे ही करते तथा परिवार रिश्तेदार के समक्ष करते, इससे स्पष्ट साबित होता है कि उक्त वसीयत भगवतप्रसाद व मुरारीलाल ने आपसी साज करके विश्वामित्र की जगह किसी दीगर व्यक्तियो को विश्वामित्र बनाकर व रजिस्ट्रार आफिस के कर्मचारियो से साज कर पंजीवद्व कराई है जबकि एक पिता अपने पुत्रो को समान मानता है तथा इस तरह भेदभाव करके कोई वसीयत नही कराता। इससे उक्त वसीयत अपने आप मे संदिग्ध प्रतीत होती है। जो बाद साक्ष्य ही तय किया जा सकता था इस बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा वसीयतनामा दिनांक 3.5.80 को रजिस्टर्ड होना बताया है तथा वादी के पिता विश्वामित्र की खातेदारी भूमि साबिक ख0न0 4955/1 रकबा 13 बीघा 19 विस्वा का जो नामा0 संख्या 2963 दिनांक 15.2.83 को भगवतप्रसाद मुरारी के पक्ष मे खुला है उसमे वसीयत के आधार पर नामा0 खुलने का कही भी उल्लेख नही है तथा उक्त नामा0 विरासत के आधार पर खुलना पाया गया है। जो भगवतप्रसाद व मुरारीलाल ने वादी के नाम नही खुलवाकर अपने नाम खुलवाया है। तथा वादी जगमोहन पटवारी के पद पर कार्यरत था तथा बाहर सर्विस करता था तथा जगमोहन अपने दोनो भाईयो भगवतप्रसाद व मुरारीलाल पर अटूट विश्वास करता था तथा उक्त पैतृक भूमि पर तीनो का ही शामलाती कब्जा था इसलिए वादी जगमोहन ने अपने जीवनकाल मे यह कभी नही सोचा कि भगवत व मुरारी मेरे इस तरह भेदभाव कर सकते है। तथा दिनांक 1.9.10 को वादी भगवत व मुरारी की उक्त फर्जकारी का प्रथम बार पता चला। तथा वादी ने उक्त दावा अधिनस्थ न्यायालय मे पेश कर दिया। इसमे वसीयतनामा अपने आप ही संदिग्ध प्रतीत होता है, इस बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। उक्त विवादित भूमि बाबत एक दावा भगवत बनाम मुरारीलाल मु0न0 426/2000 उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के समक्ष पेश हुआ जिसमे भगवत प्रसाद ने उक्त भूमि को पैतृक होना माना है जो उसका स्वीकृत तथ्य है। तथा भगवत ने उक वादपत्र मे कही भी यह उल्लेख नही किया कि जगमोहन कही गोंद चला गया इस बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। साबिक खसरा न0 695 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा भूमि को वादी के पिता विश्वामित्र ने प्रतिवादी मुरारीलाल के नाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदना बताया है तथा तब मुरारीलाल विधार्थी तथा साबिक ख0न0 695 के हाल खसरा न0 1139 व 1140 को मुरारीलाल ने पैतृक आराजीयात मानकर भगवतप्रसाद के हक मे दिनांक 2.5.80 को रजिस्ट्रार कार्यालय मे रिलीजडीड पंजीवद्व करना बताया है जब मुरारीलाल उक्त भूमि को स्वयं पैतृक भूमि मान रहा है तो मुरारीलाल को भगवतप्रसाद के हक मे रिलीजडीड अपने आप ही अवैध व खिलाफ कानून है तथा उक्त भूमि मे वादी जगमोहन का भी कानूनन हिस्सा होता है इस बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालंय का निर्णय अपास्त योग्य है। वादी का उक्त दावा कायमी तनकीयात मे नियत था तथा प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र मे ली गई आपत्ति का तनकीयात व साक्ष्य निर्णित किया जाना कानूनन न्याय संगत था तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निस्तारण करते समय विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि वाद पत्र के कथनो को भी देखना होता है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Palot
Date: 2025.10.10 13:54:26 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय राजस्व मण्डल राज.
अजमेर

प्रतिवादीगण के जबाब दावा को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की स्टेज पर नही देखा जा सकता तथा अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित नियमो को ताक मे रखकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण को उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है वह नियम वादी व कोर्ट के मध्य का विषय है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी के पिता विश्वामित्र ने दिनांक 3.5.80 को वसीयत भगवत व मुरारीलाल के हक मे करना बताया है जबकि दिनांक 3.5.80 को वादी जगमोहन केक छ पुत्र रमेशचंद, माणिक चंद,ओमप्रकाश, राजेश,कुबेर,संतोष व दो पुत्रियां सुशीला व स्नेहलता मौजूद थी। तथा इनका अपने बाबा विश्वामित्र की सम्पति मे बाई बर्थ जन्म से ही कानूनन अधिकार प्राप्त था तथा अपने बाबा की सम्पति मे अपना हिस्सा पाने के अधिकारी थे तथा वादी के पिता विश्वामित्र को अपने पौत्र पौत्रियो के हिस्से की भूमि की वसीयत करने का कोई कानूनन अधिकार नही था तथा वादीगण को उक्त वसीयत की जानकारी होते ही उक्त वसीयत को निरस्त कराने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसके लिए दावा सिविल कोर्ट मे पेश किया जावेगा। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतो का न तो अपने निर्णय मे कोई हवाला दिया गया न ही कही डिसकस किया,इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जाकर वादीगण का वाद पत्र पुनः अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर बाद तनकी व साक्ष्य निस्तारण करने के आदेश दिये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजीयात का साबिक खसरा न0 4955 रकबा 13 बीघा 19 विस्वा बारानी विश्वामित्र की स्वअर्जित कृषि भूमि कदीमी खुद काश्त भूमि है । जिसे स्वयं इच्छा से विवाद उत्पन्न नही होने की दृष्टि से मुरारीलाल व मृतक भगवतप्रसाद को स्वेच्छा से बहिस्सा बराबर जरिये रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक 3.5.80 को दे चुके है। तथा मौखिक बंटवारा भी कर दिये गये है। विश्वामित्र अपने जीवनकाल मे ही भाईयो मे कोई विवाद पैदा नही हो तथा परिवार मे शांति बनी रहे, इस कारण वादग्रस्त भूमि के बाबत एक वसीयतनामा कल्याण प्रसाद शर्मा नीति पात्र लेखक लाईसेंस न0 743 द्वारा अपने जीवनकाल मे तहरीर करवाकर गवाही कराकर स्वयं की हस्ताक्षर युक्त वसीयत सब रजिस्ट्रार कार्यालय हिण्डौन मे प्रस्तुत कर सही स्वीकार कर रजिस्टर्ड कराई गई। जो दिनांक 3.5.80 को पंजीवद्व है। स्वअर्जित सम्पति को भगवतप्रसाद व मुरारीलाल को देने का कानूनी अधिकार था। इस वसीयत की वादी को पूर्ण जानकारी थी। वादी रजिस्टर्ड वसीयम को निरस्त कराने के बिना दावा दायर करने का अधिकारी नही था। अधिनस्थ न्यायालय ने कथित वसीयत सही मानकर वादग्रस्त आराजीयात के बाबत दावा इस्तकरार हक ,स्थाई निषेधाज्ञा व तकासमा [illegible] 426/2000 दावा प्रिमीलरी डिक्री कर बाद बंटवारा स्कीम आने पर दिनांक 28.11.[illegible] को [illegible] डिक्री कर दिया गया। जिसकी इजराय की कियान्विति होकर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज [illegible] हो चुकी है। रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट है। उक्त दावे मे रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 3.5.80 को आधार मानकर दावा डिक्री किया है। वादी को उसके पिता विश्वामित्र द्वारा गोद नसीन फूलाराम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by LaxmiKant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:26 IST
Reason: SelfAttested

होने का एडमीशन रजिस्टर्ड वसीयत मे दर्ज होने के कारण वादी बसीयत से स्टोप्ड है। बिना बसीयत निरस्त कराये वादी कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी/अपीलांट वादग्रसत आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार नही है। वादग्रस्त आराजीयात विश्वामित्र की पैतृक आराजी है, को सिद्व किये बिना कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है। इस कारण उनको उनके हिस्से की भूमि को हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार है। वादग्रस्त आराजी वादी के बाबा रूगीराम की पैतृक सम्पति नही है विश्वामित्र को रूगीराम से विरासत मे प्राप्त नही हुई, बल्कि विश्वामित्र उर्फ बत्तूलाल की कदीमी खुद काश्त होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के कारण स्वअर्जित सम्पति है। वादग्रस्त आराजीयात विश्वामित्र की स्वअर्जित सम्पति होने के कारण जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 3.5.80 को भगवतप्रसाद व मुरारीलाल को ट्रासफर की है। वादी द्वारा उक्त वसीयत को आज तक सक्षम न्यायालय मे निरस्त नही कराया है। रजिस्टर्ड वसीयत मे विश्वामित्र की स्वअर्जित सम्पति होना अंकित है। वादग्रस्त आराजीयात के बाबत पूर्व मे मुकदमा न0 426/2000 डिक्री हो चुका है। अपीलांट का कथन सिद्व नही है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है। वादी द्वारा वाद पत्र पैतृक आराजीयात होने के आधार पर दावा पेश किया था। विवादित आराजीयात विश्वामित्र की स्वअर्जित आराजीयात है। जिसे विश्वामित्र ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 3.5.80 को अपने दोनो पुत्रो को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत हस्तान्तरण की गई है। वादी जगमोहन बचपन मे ही मूलचंद पुत्र चौथीलाल के गोद चला गया। मूलचंद की जायदाद का वारिस बन गया। प्राकृतिक पिता की सम्पति मे वादी जगमोहन का हित कानूनन नही रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का दावा कानूनन मेन्टेबल नही होने के कारण ही प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वात्र विधि अनुसार खारिज किया गया है। उक्त विवादित आराजीयात वर्तमान मे कृषि भूमि नही है भूमि आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम आ रही है तथा भूमि मे आवासीय मकान बने हुए है। इस प्रकार जब भूमि कृषि भूमि ही नही रही है तो उसके संबंध मे वाद राजस्व न्यायालय मे चलने योग्य नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को उसके पिता विश्वामित्र की पैतृक आराजीयात बताकर उसमे विश्वामित्र का पुत्र होने के कारण 1/3 हिस्से का हक एवं अधिकारी होना मानकर दावा पेश किया गया था। परन्तु उसके द्वारा विवादित आराजीयात विश्वामित्र की पैतृक आराजीयात होने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई ठोस सबूत/दस्तावेज पेश नही किया गया। अपीलांट के पिता विश्वामित्र के द्वारा अपने जीवनकाल मे ही उक्त आराजीयात को अपने दो पुत्रो भगवतप्रसाद व मुरारीलाल को रजिस्टर्ड वसीयत कराई है उसमे विश्वामित्र द्वारा तीनो पुत्रो का हवाला दिया गया है और वसीयत दो पुत्रो भगवतप्रसाद व मुरारीलाल के नाम कराई गई है तथा इस बसीयत मे वादी को अपने परिवार के मूलचंद पुत्र चौथीलाल के गोद जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बताया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड की छाया प्रति मे वादी का नाम पंजीका के कम संख्या 263 पर वादी जगमोहन पुत्र विश्वामित्र दत्तक पुत्र मूलचंद हरणकुश का कुआ के नाम से दर्ज है। उक्त वसीयत का नामा0 संख्या 2963 दिनांक 15.2.83 दर्ज किया गया है। उक्त वसीयत को अपीलांट/वादी द्वारा निरस्त कराने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय मे नही की गई है। अपीलांट के अधिपत्त मे ही मूलचंद पुत्र चौथीलाल के गोद चले जाने से मूलचंद की जायदाद का वारिस बन गया। जिससे प्राकृतिक पिता की सम्पति मे अपीलांट/वादी जगमोहन का हित कानूनन नही रहा है। जब वादी का ही हित विवादित आराजीयात मे नही रहा तो उसके वारिसान का किसी प्रकार का कोई हित होने का प्रश्न ही नही होता है। अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद मे वादकारण प्रकट नही करने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति नक़ल जमाबंदी सम्वत 2071–774 के खाता संख्या 2505 वाके कस्बा हिण्डौन विवादित भूमि के कुछ खसरा न0 की 90 ए होकर भूमि आबादी एवं वाणिज्यिक दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 11/11 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 25.2.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.5.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:26 IST
Reason: SelfAttested